पत्रांक– वित्त(SFC)–12 / 24(08)...254.../वि0आ0

झारखण्ड सरकार

राज्य वित्त आयोग

राँची, दिनांक...20-12-24...

प्रेषक,

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,
उद्योग विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय– **पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग– आयोग के पत्रांक–52 / वि0आ0, दिनांक–13.05.2024, पत्रांक–68 / वि0आ0, दिनांक–21.05.2024, पत्रांक–100 / वि0आ0, दिनांक–01.07.2024

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा आपको स्मारित भी किया गया था, लेकिन **अद्यतन आपके कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।** आपसे दूरभाष पर विमर्श कर भी स्मारित किया गया था। आप अवगत है कि 13वें भारत वित्त आयोग ने एक निर्धारित विन्दुओं पर राज्य वित्त आयोगो को प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया है, जिसकी पुष्टि **15वें वित्त आयोग** ने भी अपने प्रतिवेदन में की है। इस क्रम में आपेक्षित सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त होना अति आवश्यक है। आप अवगत है कि आयोग के स्तर पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथा कोई डाटा बेस भी उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि यथाशिध्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। 03.12.2024 की आयोग की बैठक में श्री चौबे ने भाग लिया था। आपको बैठक में विमर्श से अवगत कराया गया होगा।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओ पर विभाग की स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट किया जाए।

(i) एक नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी सहित व्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

क्र०

(ii) वित्तीय वर्ष 2018–19 – 2023–24 तक की विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा तथा योजनाओं का सोशल ऑडिट, इम्पेक्ट स्टडी की स्थिति अगर सोशल ऑडिट/स्टडी की गई हो तो प्रतिवेदल तथा ए0टी0आर (Action Taken Report) का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

(iii) आपके विभाग के अधीन गठित निदेशालय, आयोग तथा समितियों का संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

3. उद्योग विभाग द्वारा **"एक जिला-एक उत्पाद"** की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। संबंधित अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जाय। इस दिशा में अद्यतन क्या प्रगती हुई है उसे भी भी उपलब्ध करायी जाय साथ ही साथ अंतविभागीय समन्नवय की क्या स्थापित प्रक्रिया है ? इस संबंध में किन–किन विभागों से विभाग समन्नवय किया जा रहा है ? कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्रम नियोजना एवं कौशल विकास विभाग, अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड, राँची के साथ क्या कोई समन्नवय इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया जा रहा है?

4. SSI उद्योग में क्या JSLPS के साथ क्या कोई समन्नवय किया गया है?

5. SSI के लिए क्या Mechanism है ?

6. MSME के लिए क्या Procurement Policy में कुछ विशेष सुविधाएं देय है ?

विश्वासभाजन,

Ap 17/12/24

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।

ज्ञापांकः– वित्त(SFC)–12/24(08)–254/वि0आ0 **राँची, दिनांकः–** 18-12-24

प्रतिलिपि :– सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 17/12/24
अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग।